न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 33 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 204

निगरारीकार

1. बुधाराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट
2. रतनलाल पुत्र श्री उमाराम जाति जांगीड़
3. परसाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट
4. सुखदेव राम पुत्र श्री रोड़ाराम जाति जाट
5. मांगुराम पुत्र श्री मोडूराम जाति जाट
6. पन्नाराम पुत्र श्री रामूराम जाति जाट समसत निवासीगण बिल्लू तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

गैरनिगरानीकार

1. लिछमा देवी पत्नी स्व. किशनाराम चौधरी
2. महिपाल पुत्र स्व. किशनाराम चौधरी
3. सुरेन्द्र पुत्र स्व. किशनाराम चौधरी समस्त जाति जाट निवासीगण बिल्लू तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत बिल्लू, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
5. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बिल्लू, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचमान।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती एक्ट वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 25 / 1973 व संकल्प संख्या .... दिनांक .... ग्राम पंचायत बिल्लू तहसील मकराना

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील निगरारीकार की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 28.10.2024

निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 01 ता 03 ग्राम बिल्लु के स्थायी निवासी है स्व. गणपतलाल के विधिक उत्तराधिकारी व वारिसान हैं, जहां पर इनकी चल व अचल सम्पति अवस्थित है।
2. ग्राम बिल्लू की आबादी में एक पट्टा नम्बर 25 / 1973 किशनाराम चौधरी पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट के नाम से जारी किया हुआ है। जिसका किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बिल्लू में उपलब्ध नहीं है व जिस जायगा का उक्त पट्टा पड़ौसानुसार जारी किया गया है, वहां गैरनिगरानीकार व उसके परिवारजन का कभी किसी प्रकार का कोई कब्जा भौतिक एवम वास्तविक रूप से नहीं रहा है जिसकी फोटो ग्राफ अपील के साथ पेश है। उक्त जायगा आम गुवाड़ की है, जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व्यक्ति विशेष का कभी नहीं रहा व ग्राम पंचायत बिल्लू

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

की आम जनता उक्त जायगा का उपयोग व उपभोग आम गुवाड़ के रूप में करती आ रही है। उपरोक्त पट्टे के अनुसार उक्त जायगा के पड़ौस निम्नलिखित है:–

उत्तर	:–	बालूराम
दक्षिण	:–	पड़त की जमीन
पूर्व	:–	आम रास्ता
पश्चिम	:–	आम गांव के कुऐं की टुंडी

3. उपरोक्त पट्टे का नाप 55 X 75 फुट है, जो उत्तर से दक्षिण 55 फुट व पूर्व से पश्चिम 75 फुट कुल नाप 4175 वर्गफुट भूमि दर्शाई गई है व इसी आम गुवाड़ की खुली जायगा का एक और पट्टा धूड़ाराम लुहार के नाम से जारी किया गया है, जो पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.10.1982 को जारी किया हुआ होना है जिसके पड़ौस निम्न है:–

उत्तर	:–	रास्ता 12 फुट व स्वामी नारायणदास का खेड़ा
दक्षिण	:–	पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल का थाला
पूर्व	:–	आम रास्ता
पश्चिम	:–	आम गांव के कुऐं की टुंडी

4. उपरोक्त पट्टे का नाप 30 X 45 फुट है, जो उत्तर से दक्षिण 30 फुट व पूर्व से पश्चिम 45 फुट कुल नाप 1350 वर्गफुट भूमि दर्शाई गई है।

   उक्त दोनों पट्टों की प्रति अपील के साथ पेश है।

5. गैर निगरानीकार संख्या 01 ता 03 के पिता किशनाराम चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत बिल्लू से मिलीभगत कर आम गुवाड़ की भूमि का फर्जी पट्टा संख्या 25 दिनांक 02.02.1973 को बनवा लिया। उक्त जायगा हमेशा से ही आम गुवाड़ की ही रही है, जिसका उपयोग व उपभोग हमेशा ग्रामवासी ही करते आ रहे है तथा आज तक उक्त पट्टा सुद जायगा पर किसी भी व्यक्ति का आवास निवास नहीं रहा है। उक्त फर्जी पट्टे की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 द्वारा आम गुवाड़ की जायगा पर नाजायज कब्जा करके निर्माण करने की फिराक में है, यदि यह ऐसा कर लेते है तो अपीलार्थी व ग्रामवासीयों को अजहद नुकसान होगा, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पट्टा निरस्त करने की अपील पेश करते है। जिसके आधार निम्नलिखित है:–

<u>:–निगरानी के आधार–:</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17:12 IST
Reason: SelfAttested

1. पट्टा संख्या 25 दिनांक 02.02.1973 का किसी प्रकार का को[illegible] ग्राम पंचायत बिल्लू में उपलब्ध नहीं है व उक्त जायगा [illegible] रही है व वर्तमान में भी उक्त जायगा आम गुवाड़ है।
2. ग्राम पंचायत बिल्लू का जो पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 01 ता 03 के पिता व पति के नाम से जारी होना गैर निगरानीकार संख्या 01 ता [illegible] बता रहे है वो

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

बिलकुल फर्जी होने से उक्त निगरानी बाबत् निरस्तरीकरण पट्टा श्रीमान् के समक्ष पेश है।

3. उपरोक्त पट्टा में वर्णित भूमि आज भी आम गुवाड़ के उपयोग व उपभोग के रूप में काम में आ रही है, व उक्त जायगा पर विशालकाय बड़ का वृक्ष भी लगा हुआ है, जहां पर ग्राम बिल्लू के मवेशी व आम लोगों के विश्राम करने के कामआता है। उक्त जायगा के फोटो ग्राफ अपील के साथ पेश है।

4. गैर निगरानीकार संख्या 01 ता 03 के पिता व पति किशनाराम चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत बिल्लू से जारी किया हुआ बता रहे है, वह बिलकुल ही फर्जी है व किशनाराम चौधरी स्वयं के द्वारा ही उक्त पट्टा का फोरमेट लेकर उक्त जायगा के पाड़ौस व नाप भरा गया है, जो फर्जी होने के कारण निरस्त कियो जाने योग्य है।

5. उक्त निगरानी हाल ही में गैर निगरानीकार संख्या 01 ता 03 द्वारा फर्जी पट्टे की आड़ में आम गुवाड़ की जायगा पर कब्जा करने की धमकी देने के कारण उक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।

6. अभी हाल ही गैर निगरानीकार संख्या 01 ता 03 द्वारा आम गुवाड़ की भूमि पर फजी पट्टे की आड़ में निर्माण करने की एलानियां धमकी देने से तथा गैर निगरानीगार द्वारा उक्त फर्जी पट्टे की प्रति सरपंच ग्राम पंचायत को देने से अपीलार्थी को उक्त फर्जी पट्टे की प्रति सरपंच से हाल ही में प्राप्त होने से इस फर्जी पट्टे का प्रथम बार ज्ञान हुआ, जिससे यह अपील अन्दर मयाद पेश है।

अतः निगरानी पेश कर सादर नम्र निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर पट्टा संख्या 25/1973 व संकल्प संख्या .... दिनांक .... ग्राम पंचायत बिल्लू, को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज कर गैर निगरानीकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैर निगरानीकार सं0 03, 04, 05 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।गैर निगरानीकार सं0 01 व 02 के अधिवक्ता भी बार–बार पेशियों पर अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील निगरानीकार की सुनी गई। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पट्टा संख्या 25/1973 किशनाराम चौधरी पुत्र गंगाराम जाति जाट के नाम से जारी किया हुआ है। जिसका किसी प्रकार का कोइ रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बिल्लु में उपलब्ध नहीं है व जिस जायगा का उक्त पट्टा पडौसानुसार जारी किया गया है वहां पर किशनाराम व उसके वारिसान का कभी किसी प्रकार का कोई कब्जा भौतिक एवं वास्तविक [illegible] नहीं रहा है। उक्त जायगा आम गुवाड की है जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व्यक्ति [illegible] नहीं रहा व ग्राम पंचायत बिल्लु की आम जनता उक्त [illegible] गुवाड के रूप में करती आ रही है। अतः निगरानीकार की नि[illegible] स्वीकार कर पट्टा संख्या 25/1973 व संकल्प संख्या .... दिनांक .... ग्राम पंचायत बिल्लु को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत बिल्लु के पंत्राक 05 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली में विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना की मौका रिपोर्ट ली गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना ने अपने पंत्राक 5240 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त स्थल आम गुवाडप्रतीत होता है। निर्धारित स्थल पर वर्तमान में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण व कब्जा प्रतीत नहीं होता है। उक्त स्थल से दो मार्ग बिल्लु से बोरावड व बिल्लु से मोरेड गुजरते है। जिसमें करीब 15 वर्ष पूर्व बिल्लु से बोरावड मार्ग पर ग्रेवल का निर्माण हुआ था। उस समय किसी भी व्यक्ति ने अपना भूमि स्वामित्व प्रकट नहीं किया था। जिससे वह आम गुवाड प्रतीत होता है। निर्धारित स्थल पर एक बडा बड़ का पेड़ है जहां आमजनों के अनुसार आम सभाए हुआ करती थी जो स्थल आम गुवाड की ओर संकेत करता है।

उपरोक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 25/1973 की जायगा पर वर्तमान में किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है तथा विकास अधिकारी मकराना की मौका रिपोर्ट अनुसार भी उक्त जायगा आम गुवाड प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत बिल्लु के पास उक्त पट्टा से संबंधित कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अतः ग्राम पंचायत बिल्लु द्वारा जारी पट्टा सं0 25/1973 सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बिल्लु के द्वारा किशनाराम चौधरी पुत्र गंगाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25/1973 नियम विरूद्ध जारी होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **28.10.2024** को सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17:12 IST
Reason: SelfAttested